



कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर  
प्रसार शिक्षा निदेशालय  
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

क्रमांक /एफ/के.वि.के./श्रीगंगानगर/2021-22 / 170

दिनांक: 13/07/2021

### खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर-श्री गंगानगर (राज.) में वर्ष 2021-22 हेतु कृषकों हेतु भोजन एवं अल्पाहार कार्य हेतु खुली निविदा आमंत्रित की गई। कार्य की अनुमानित लागत 500000/- रुपये है। निविदा फॉर्म दिनांक 26/07/2021 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 11.30 बजे तक 500 रु. नगद/ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो के प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए निविदाफॉर्म दिनांक 26/07/2021 को दोपहर 12.30 बजे तक धरोहर राशि 10000/- रुपये के ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा उसी दिन दोपहर 1.30 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं शर्तें निविदा फॉर्म के साथ उपलब्ध कराई जावेगी। खुली निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदाप्रपत्र वेबसाइट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) तथा [www.rau.bikaner.org](http://www.rau.bikaner.org) पर देखा तथा डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर को होगा।

कार्यक्रम समन्वयक  
कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयबीकानेर, को भेजकर निवेदन है कि अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करे।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करे।
3. श्रीमान प्रभारी अधिकारी सिमका को भेजकर लेख है कि इस निविदा को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयबीकानेर की साईट पर लोड करने की कृपा करे।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड/रोकड़ शाखा/स्थापना शाखा.....

कार्यक्रम समन्वयक  
कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर

13/07/2021

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर  
 प्रसार शिक्षा निदेशालय  
 स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

कार्य विवरण एवं शर्ते

क्र.सं.	फर्म का नाम	कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
1.	कार्य की अनुमानित अवधि	31/8/2022
2.	अनुमानित लागत राशि	500000/- रुपये
3.	धरोहर राशि की प्रकृति एवं राशि	10,000 रुपये/- डिमाण्ड ड्राफ्ट

निविदा/कांट्रोक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

चाय/नाश्ता/भोजन	मीनू का विवरण
चाय	चाय 100 मिली (एक कप)
नाश्ता	समोसा (1 नग)+मिठाई (100 ग्राम) / कचोरी (1 नग)+मिठाई (100 ग्राम)
भोजन- 1	रोटी+दाल+मौसमी हरी सब्ज़ी+चावल+रायता+सलाद+मिठाई (100 ग्राम)
भोजन- 2	बटर रोटी+दाल+मौसमी हरी सब्ज़ी+पनीर की सब्ज़ी+चावल+रायता+सलाद+ मिठाई (100 ग्राम)

शर्ते:

- निविदादाता को उपरोक्त मीनू के अनुसार भोजन व्यवस्था करनी होगी।
- केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण जिले में एवं जिले के बाहर के केन्द्रों पर प्रशिक्षण के दौरान भोजन व नाश्ता की आपूर्ति करने हेतु बाध्य रहेगा।
- उपलब्ध करवाया गया भोजन व नाश्ता गुणवत्ता का होना चाहिए।
- डिब्बा बंद भोजन व नाश्ता स्वीकार नहीं किया जायेगा।

निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं शर्ते निविदा फॉर्म के साथ उपलब्ध कराई जावेगी। न्यूनतम दर को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा संलग्न प्रपत्र में भरनी है।

  
 कार्यक्रम समन्वयक  
 कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर—श्री गंगानगर

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर—श्री गंगानगर ।  
 (स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

कार्यक्रम समन्वयक,  
 कृषि विज्ञान केन्द्र,  
 पदमपुर— श्री गंगानगर

कृषको हेतु भोजन एव अल्पाहार कार्य वाबत निविदा प्रपत्र

संदर्भ : क्रमांक /एफ/के.वि.के./श्रीगंगानगर/2021-22 / 170.

दिनांक: 13/07/2021

**फर्म/व्यक्ति का नाम व पता—**

(फोटो पहचान पत्र एव मूल निवास प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि लगावे)

धरोहर राशि का विवरण: ..... निविदा दाता/

ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण एव निविदादाता द्वारा कार्य की देय दर निम्न प्रकार है

चाय/नाश्ता/भोजन	मीनू का विवरण	निविदा दाता/ ठेकेदार द्वारा दी गई दरे (रुपए में)
चाय	चाय 100 मिली (एक कप)	
नाश्ता	समोसा (1 नग) + मिठाई (100 ग्राम) / कचोरी (1 नग) + मिठाई (100 ग्राम)	
भोजन- 1	बटर रोटी+दाल+मौसमी हरी सब्ज़ी+चाल/ रायता+सलाद	
भोजन- 2	बटर रोटी+दाल+मौसमी हरी सब्ज़ी+पनीर की सब्ज़ी+चावल+रायता+सलाद+ मिठाई (100 ग्राम)	

निविदादाता को नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प रु0 100/- पर शपथ पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय में निविदा स्वीकृत होने के दो दिनों के अंदर कार्यालय समय में जमा करवाना होगा जिसमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार करते हुये कार्य करने की सहमति प्रदान की जाए एव इसके अभाव में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सफल निविदादाता को कार्य करने के आदेश नहीं दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी ।

निविदादाता/ कान्ड्रेक्टर के हस्ताक्षर  
 व पता दिनांक सहित

**कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर**  
**प्रसार शिक्षा निदेशालय**  
**स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)**

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर पर कृषको/ अधिकारियो/ युवाओं हेतु भोजन एवं अल्पाहार कार्यों के लिए जारी खुली निविदा क्रमांक स्थापना / केवीके/ श्रीगंगानगर /2021-22 / । ७० दिनांक 13/07/2021 की नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं।

**नियम एवं शर्त**

1. निविदा फार्म कार्यालय से 500 रूपये नगद/ डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो के प्रस्तुत करने पर दिनांक 26/07/2021 तक प्राप्त किया जा सकता है।
2. इस कार्य की अनुमानित लागत 500000/- रूपये है। अतः निविदादाता को धरोहर राशि 10,000/- रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के नाम संलग्न करनी अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा फार्म निरस्त माना जायेगा। असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि निविदा के खोलने के बाद लौटा दी जाएगी। सफल निविदादाता स्वीकृत कार्य करने से इन्कार करता है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाएगी। अथवा निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
3. अनुबंध की अवधि 31/8/2022 तक मान्य होगी। परन्तु अधोहस्ताक्षर को पहले निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. जो कार्य आवश्यक समझा जाएगा वही करवाया जावेगा कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गए सभी कार्य करवाने के लिए बाध्य नहीं होगा।
5. निविदादाता / सेवा प्रदाता को आयकर पेन (PAN) नम्बर, आधार नम्बर व बैंक खाता विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर व सैस की कटोती करने के पश्चात् ही बिल का भुगतान किया जायेगा तथा आयकर रिटर्न भरने का दायित्व निविदादाता का हई होगा।
7. निविदादाता एवं निविदादाता के कर्मचारी या श्रमिक या अन्य निविदादाता के ही सेवक होंगे उनका कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर या स्वामी केशवानन्द राज. कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से कोई संबंध नहीं होगा और ना इस सम्बन्ध में दावा पेश करेगा।
8. निविदादाता को भुगतान सम्पादित किये हुए कार्यों का ही होगा तथा कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।
9. एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा समान प्रतिशत दरे प्राप्त होने पर किसी एक निविदादाता को स्वीकार करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष या कमेटी अध्यक्ष का होगा।
10. निविदादाता मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल चलन का होना चाहिए, जिसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो।
11. निविदादाता द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।
12. निविदादाता या श्रमिकों द्वारा केन्द्र के सामान/सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो निविदादाता के द्वारा हर्जना देना होगा तथा ऐसे श्रमिक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा।
13. कार्य करते समय किसी भी प्रकार की मानव दुर्घटना/ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी समस्त जवाबदेही एवं जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता स्वयं की होगी तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा तथा न ही निविदादाता / श्रमिक किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र से मांग/दावा करेगा।
14. किसी भी शर्त की पूर्णतया पालन न होने पर अनुबंध किसी भी समय निरस्त किया जा सकता एवं धरोहर राशि जब्त कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

15. किसी भी विवाद की स्थिति में केवीके प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र पदमपुर होगा।
16. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार राशि रु. 100/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबंध पत्र संपादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र पर लिखी प्रत्येक शर्त का पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सुचना के समाप्त कर दिया जायेगा।
17. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा।
18. निविदा में दी गई दरों में काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
19. निविदादाता केवल मांगी गई सामग्री के लिए ही अपनी निविदा राशी भरकर देंवे। अन्य सामग्री के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं करे।
20. समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के बनाने में उत्तम क्वालिटी का सामान ही काम में लेना होगा तथा खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा।
21. प्रशिक्षण के दौरान या शाम के भोजन में जितने प्रशिक्षणार्थी ठहरेंगे उसी संख्या में खाना देना होगा व ठहरने की संख्या का ही भुगतान किया जावेगा।
22. खाना व चाय आदि में प्रयोग में लीए जाने वाले बर्टन व कप प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।
23. दोपहर व शाम की सब्ज़ी व दाल अलग अलग होगी।
24. निविदादाता को उपरोक्त मीनू के अनुसार भोजन व्यवस्था करनी होगी।
25. उपलब्ध करवाया गया भोजन व नाश्ता गुणवत्ता का होना चाहिए।
26. डिब्बा बंद भोजन व नाश्ता स्वीकार नहीं किया जायेगा।
27. निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रीम भूगतान नहीं दिया जायेगा।
28. मैस एवं डायनिंग हॉल की सफाई की ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी।
29. अनाधिकृत व्यक्ति का किसान घर/ कार्यालय में प्रवेश वर्जीत रहेगा।
30. प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको कार्य आदेश दिये जायेंगे।
31. अनुबंध खत्म होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर श्री गंगानगर से "नो ड्रूज" लेना होगा।
32. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जायेगी।

K.V.K., Sri Gangannagar

कार्यक्रम समन्वयक  
कृषि विज्ञान Programme Coordinator  
K.V.K., Sri Gangannagar

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने/हमने निविदा की नियम एवं शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा मैं/हम इन से शर्तों से पूर्णतया सहमत हैं।

यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गयी शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता /करते हैं तो हमारी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता नाम व पता :